न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 11/06 उपनिवेशन विविध

मनीराम पुत्र भागीरथ विश्नोई निवासी 3 बीजीएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर

–प्रार्थी

: ब ना म :

1. सोहनीदेवी बेवा बनवारीलाल जाट निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चुरू।
2. जड़ली उर्फ सोहनी पत्नि प्यारेलाल जाट निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चुरू।
3. चन्द्रपाल पुत्र बनवारीलाल निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चुरू।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–अप्रार्थीगण

1. प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गिरधारी लाल ।
2. अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओ.पी. जाखड़।
3. स्टेट की और से उनके विभागीय प्रतिनिधि ।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

न्यायालय जिला कलेक्टर बीकानेर

: आदेश :

दिनांक 16.12.19

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि स्वर्गीय बनवारी लाल पुत्र हरदेवाराम को वर्ष 1972 में एक साला आर जी काश्त हेतु चक 3 बीजीएम का मु.नं. 184/50 की 25 बीघा भूमि आवंटन की गयी। बनवारी लाल अविवाहित था। पुख्ता आवंटन होने से पहले बनवारीलाल चल बसा । किसी अन्य शख्स प्यारेलाल पुत्र दौलाराम ने अपनी पत्नि जड़िया व पुत्र चन्द्रपाल को बनवारी लाल के वारिस के रूप में पेश कर जड़िया को सोहनी बताकर आवंटन करवा लिया। तमाम कार्यवाही भूमि को हड़प करने व अवैद्य लाभ उठाने की नियत से की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर फर्जी आवंटन निरस्त किया जावे।

2. अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री ओ.पी. जाखड़ अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया। समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उन्होने जवाब प्रस्तुत किया और ना ही सुनवाई के दौरान उपस्थित आये।

जिला कलक्टर, बीकानेर

3. प्रकरण काफी समय से लम्बित होने के कारण नियत पेशी दिनांक 25.11.19 को पत्रावली बहस हेतु रखी गयी। नियत पेशी पर भी उभयपक्ष उपस्थित नहीं आये। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार य बनवारी लाल पुत्र हरदेवाराम को वर्ष 1972 में एक साला आर जी काश्त हेतु चक 3 बीजीएम का मु.नं. 184/50 की 25 बीघा भूमि आवंटन की गयी। बनवारी लाल अविवाहित था। पुख्ता आवंटन होने से पहले बनवारीलाल चल बसा । किसी अन्य शख्स प्यारेलाल पुत्र दौलाराम ने अपनी पत्नि जड़िया व पुत्र चन्द्रपाल को बनवारी लाल के वारिस के रूप में पेश कर जड़िया को सोहनी बताकर आवंटन करवा लिया। तमाम कार्यवाही भूमि को हड़प करने व अवैद्य लाभ उठाने की नियत से की गयी है।तहसीलदार, भू. अभिलेख,चुरू की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार तहसील चुरू के ग्राम श्यामपुरा के श्री बनवारीलाल की शादी तहसील चुरू के (घड़िमारिया बास) जसवन्तपुरा में हुई थी। बनवारीलाल शादीशुदा था। शादी के बाद लाऔलाद फौत हो गया। बनवारी लाल की मृत्यु के बाद बनवारी लाल की पत्नि सोहनी देवी को अपने देवर करणी नाम की चुड़ी पहना दी गयी। इस प्रकार सोहनीदेवी अपने देवर के नाते चली गयी। करणीराम वर्तमान में चुरू में रहता है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रार्थीया ने तथ्य छुंपाकर आवंटन अधिकारी से नियमो के विपरित जाकर आवंटन कराया है। अतः ऐसा आवंटन नियमो के विरूद्ध होने के कारण खारिज किया जाना हम न्यायोचित पाते है।

4. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर श्री बनवारी लाल पुत्र हरदेवराम को चक 3 बीजेएम के मु.नं. 184/50 की 50 बीघा भूमि का किया गया आवंटन खारिज किया जाता है। तहसीलदार आदेशानुसार प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज करे।

5. आदेश आज दिनांक **16.12.19** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर,
जिला कलक्टर, बीकानेर

6.